


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2016/भाद्र 2, 1938

No. 584]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2016/BHADRA 2, 1938

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2016

सा. का. नि. 815(अ).—केन्द्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ग), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में महाप्रबंधक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2103 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ब्रह्मपुत्र बोर्ड में महाप्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम न करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्राल, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (महाप्रबंधक) समूह 'क' भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

2. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

2. निरर्हता—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. महाप्रबंधक	1*(2016) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 4 37,400 67,000/-रु० + ग्रेड वेतन 10,000/- रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिरीक्षा की अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक	प्रोन्नति : ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मुख्य इंजिनियर (स्तर-2) या सचिव में से जिन्होंने वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन 8900 में दो वर्षों की नियमित सेवा की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	संविदा भी है) द्वारा	<p>प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी,</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) जो वेतन बैंड 4+ग्रेड वेतन 8900 रु. या 8700/- रु. श्रेणी में क्रमश दो वर्ष या तीन वर्षों की सेवा के साथ अतिरिक्त मुख्य इंजिनियर या अधीक्षण इंजीनियर का पद धारण किए हुए हैं और निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं-</p> <p>(i) मान्यप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजिनियरी में डिग्री और</p> <p>(ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं, पर्यावरण, प्रशासन प्रबंध के क्षेत्र में अन्वेषण, योजना, परिकल्पना, निष्पादन, प्रचालन का 15 वर्षों का अनुभव; या</p> <p>(iii) बाढ़ प्रबंध, नदी प्रशिक्षण कार्य और साधारण प्रशासन के लिए मास्टर प्लान, व्यापक प्लान तैयार करने का 15 वर्षों का अनुभव ; या</p> <p>(ख) (i) वेतन बैंड 4+ग्रेड वेतन 8900/- में दो वर्ष नियमित सेवा के साथ पद धारण करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और जो 15 वर्षों का अनुभव रखते हो ; या</p> <p>(ii) वेतन बैंड 4+ग्रेड वेतन 8700/- में तीन वर्ष नियमित सेवा के साथ पद धारण करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और जो 15 वर्षों का अनुभव रखते हों ।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>	<p>जिसमें निम्नलिखित होंगे-</p> <p>1. सचिव या विशेष सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) -अध्यक्ष</p> <p>2. सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग -अध्यक्ष</p> <p>3. अध्यक्ष ब्रह्मपुत्र बोर्ड -अध्यक्ष</p>	
--	----------------------	--	--	--

		<p>टिप्पण 3 : प्रोन्नति के अधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा सगड़ी जाएगी।</p>		
--	--	---	--	--

[फा. सं. 2/16/2010-ई-III(बीबीई.)]

यू. पी. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2016

G.S.R. 815(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b), (d) and (e) of sub-section (2) of section 28 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980) and in supersession of Ministry of Water Resources, Brahmaputra Board (**General Manager**), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of General Manager in Brahmaputra Board, namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board (General Manager) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.** - These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay.** - The number of the said post, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.
4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
5. **Disqualification.** - No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification	Pay Band and grade pay or pay scale .	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.General Manager	.1* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	Pay band-4 Rs.37,400 – 67,000 plus grade pay of Rs. 10,000	Selection	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which consultation with Union Public Service Commission is necessary.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short term contract).	<p>Promotion: from amongst the Chief Engineer(Level-II) or Secretary of Brahmaputra Board with two years regular service in the Pay band-4 Rs.37,400 - 67,000 plus grade pay of Rs. 8900.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognised Research Institutions or statutory organisations; (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Superintending Engineer in the Pay band- 4 with grade pay of Rs.8900 or Rs. 8700 with two years or three years regular service respectively in the grade; and Possessing the following educational qualifications and experience- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University ; and (ii) 15 years' experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution, Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects, Environment, Administration, Management; or (iii) 15 years' experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and</p>	<p>Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of:</p> <p>(i) Secretary or Special Secretary (Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) - Chairman (ii) Member, Central Water Commission - Member (iii) Chairman, Brahmaputra Board - Member</p>	Consultation with the U.P.S.C. not necessary.

			<p>General Administration; or (B) (i) All India Service officers holding the post in pay band -4 with grade pay of Rs.8900 with two years of regular service and having 15 years' experience; or (ii) All India Service officers holding the post in Pay band - 4 with grade pay of Rs.8700 with three years regular service and having 15 years' experience.</p> <p>Note 1.- The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>		
--	--	--	---	--	--

[F. No. 2/16/2010-E-III(BBE)]

U. P. SINGH, Addl. Secy.

RAJ Digitally signed
by RAJ KUMAR
KUMAR Date: 2016.08.24
23:35:39 +05'30'